89

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 50–एक/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 30.12.2013 – पारित व्दारा – तहसीलदार, विदिशा – प्रकरण कमांक 2 अ–27/2009–10

देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. दलीप सिंह
ग्राम ढोलखेड़ी तहसील विदिशा
जिला विदिशा, मध्य प्रदेश ---आवेदक

चिष्द्ध

1– बद्री प्रसाद 2– लक्ष्मण सिंह
3– प्रकाशचन्द्र पुत्रगण स्व.बिहारी
ग्राम पड़रिया तहसील गैरवगॅज
जिला रायसेन मध्य प्रदेश
4– बलबन्त सिंह पुत्र दलीपसिंह
ग्राम ढोलखेडी तहसील विदिशा
जिला विदिशा मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)
(अनावेदक–1 से 3 के अभिभाषक श्री राजेश शर्मा)
(अनावेदक–4 के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)

आ दे श

(आज दिनांक 15-3-2016 को पारित)

तहसीलदार, विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 2 अ–27/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 30–12–2013 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 नें तहसीलदार विदिशा के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उनके एंव देवेन्द्र सिंह के पिता स्वर्गीय दलीपसिंह

दलीप सिंह के नाम ग्राम ढोलखेड़ी में कुल किता 17 कुल रकबा 34 वीघा 15 विसवा भूमि सामिलाती है इस भूमि पर स्वर्गीय दलीपसिंह ने सन 1973 में सरकारी कागजात में अपना नाम इन्द्राज कराते हुये नाजायज कब्जा कर लिया था जिस पर न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 विदिशा के यहां प्रकरण क्रमांक 109 ए/1974 चला एंव दिनांक 19-10-77 को डिक्री होकर भूमि का आधिपत्य एक माह के अन्दर देने का आदेश हुआ है। यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय तक चला है जिसमें द्वित्तीय अपील क्रमांक 60/93 में पारित आदेश दिनांक 9-3-1998 अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एंव एंव प्रतिप्रार्थी की सम्मिलित होना मानकर दावा निर्णीत हुआ है इसलिये वादग्रस्त भूमि का बटवारा किया जाय।

तहसीलदार विदिशा ने प्रकरण क्रमांक 02 अ-27/ 2009-10 पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों की सुनवाई प्रारंभ की। आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मान. उच्च न्यायालय के प्र0क्र0 48/93 की प्रतिलिपि अनावेदक को प्रस्तुत करने हेतु आदेश देने की आपत्ति प्रस्तुत की, जिसे तहसीलदार व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 10.8.10 से अमान्य किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर विदिशा के समक्ष निगरानी क्रमांक 5/10-11 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 8-10-10 से निगरानी स्वीकार कर आपत्ति आवेदन पर Speaking order पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित हुआ, जिस पर तहसीलदार व्दारा पक्षकारों की सुनवाई कर दिनांक 31.3.11 को विस्तृत विवेचना कर आदेश पारित किया। तदुपरांत पुनः आपत्ति आवेदन पर तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 15-11-11 पारित किया तथा पटवारी से वादग्रस्त भूमि के बटांक कायम कराकर फर्दे तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये.

इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर विदिशा के समक्ष निगरानी कमांक 23/2011-12 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 30-5-12 से तहसीलदार विदिशा का आदेश दिनांक 15-11-11 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वह देवेन्द्र सिंह व्दारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 26-7-2010, 16-8-2010 पर सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करें।

तहसील न्यायालय में प्रकरण वापिस प्राप्त होने पर पक्षकारों की पुनः सुनवाई प्रारंभ हुई । सुनवाई के दौरान अनावेदक कमांक 4 ने तहसीलदार के समक्ष व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर पक्षकार बनाये जाने एंव पैत्रिक संपत्ति में स्वंय का हिस्सा होना दर्शाया। तहसीलदार ने इस आवेदन पर हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 30.12.13 पारित किया तथा अनावेदक कमांक 4 को हितबद्ध पक्षकार होना मानते हुये प्रकरण की आगामी कार्यवाहियों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उनके व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक व्दारा निगरानी मेमो के प्रथम पद में अंकित अनुसार यह तथ्य पुष्टिकृत है एंव निगरानीकर्ता ने माना है कि वाद विचारित भूमि आवेदक के पिता एंव अनावेदक कमांक 1 से 3 के संयुक्त खाते की भूमि है। इसी पद के अंत में अंकित अनुसार आवेदक ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रकरण में वाद विचारित भूमि उसके पिता एंव अनावेदक क01 से 3 की संयुक्त

होने से बटवारे योग्य है। प्रकरण में निगरानी इस आधार पर की गई है कि अनावेदक कमांक-4 (आवेदक का रक्तोतर भाई) की मांग आवेदन को स्वीकार करके तहसीलदार ने पक्षकार क्यों बनाया है ? जब आवेदक स्वयं स्वीकार कर रहा है कि वादोक्त भूमि आवेदक के पिता एंव अनावेदक कमांक 1 से 3 के संयुक्त खाते की भूमि है एंव अनावेदक कमांक-4 उसका रक्तोदर भाई है तब उसके प्रकरण में उपस्थित होने पर पक्षकार मानते हुये सुनवाई का उसे भी अवसर प्रदान करना अनिवार्य है। अतएव तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 30.12.2013 से तद्नुसार निर्णय लेने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है। विचाराधीन प्रकरण तहसीलदार विदिशा की आर्डरशीट दिनांक 30.10.2009 से प्रारंभ हुआ है जिसे प्रचलित हुये 5 वर्ष 3 माह से अधिक समय हो चुका है एंव आवेदक व्दारा बार-बार आपत्ति करके विभिन्न न्यायालयों में निगरानी करके प्रकरण में अंतिम विनिश्चय नहीं होने देना परिलक्षित है, जिसके कारण माननीय व्यवहार न्यायालय एंव माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही नहीं हो पा रही है ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक वाद विचारित भूमि का बटवारा नहीं होने देना चाहता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार, विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 2 अ-27/ 2009-10 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2013 विधिवत् होने से स्थिर रखते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर 60 दिवस के भीतर प्रकरण का अंतिम किया जावे।

(एम0के0सिह)
सदस्य
राजस्व मंडल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर